न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस.

प्र.सं. 19/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/28

गुरजन्ट सिंह पत्रकार निवासी सतराना तहसील अनूपगढ़

—अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 17.11.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपील प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा एसडीएम अनूपगढ़ कार्यालय के मार्फत तहसीलदार कार्यालय को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। परन्तु तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा प्रार्थी के साथ कोई पत्रव्यवहार नहीं किया गया हैं। जिससे प्रार्थी की स्वतंत्रता पर गम्भीर घात पंहुचाया गया है। तथा पारदर्शिता को प्रभावित किया गया हैं। ऐसे कर्मीयों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दण्डित करने व प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए निवेदन किया।

प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के द्वारा प्रेषित टिप्पणी क्रमांक/796 दिनांक 17.07.2023 के द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित कर निवेदन किया गया हैं कि आवेदक द्वारा वांछित सूचना के संबंध में पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है। अतः पूर्ण विवरण के अभाव में सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं हैं। कार्यालय में आवेदक द्वारा वांछित सूचना आवेदक द्वारा चाहे गये प्रारूप में संधारित नहीं हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचना उसी प्रारूप में उपलब्ध करवाने का प्रावधान है, जिस प्रारूप में लोक सूचना अधिकार के पास पहले से ही संधारित है, अतः आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किया गया आवेदन खारिज किये जाने योग्य हैं। कार्यालय हाजा द्वारा प्रार्थी का आवेदन अस्वीकार किया गया एवं प्रार्थी को जरिए कार्यालय हाजा के पत्रांक— आर.टी.आई./9590 दिनांक 06.01.2022 द्वारा सूचित किया गया। आवेदक द्वारा वांछित सूचना के संबंध में पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाये जाने पर आवेदक को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जावेगी। अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नलिखित सूचना चाही गयी :—

(1) तहसील अनूपगढ़ के अधीन ग्राम पंचायत 9 एमडी(सतराना) [illegible] अधीन [illegible] व 4 एमडी, 7 एमडी, 1 एमडी, 5 एमडी व सम्पूर्ण ग्राम पंचायत में पटवारी से रिपोर्ट प्रमाणित —
जोहड़ पैतान की भूमि, कब्रिस्तान की भूमि एवं कल्याण भूमि एवं शमशान भूमि व हड़ारोड़ी मृत पशुओं के चक वाईज किला नं., मु.नं. चक सहित सूचना प्रमाणित देवें।

(2) सम्पूर्ण जमाबंदीया सहित सूचना

(3) चक 4 एमडी में कब्रिस्तान के मु.नं. चक सहित नक्शों सहित सूचना किला नं. कुल रकबा हडारोडी, जोडपतान, कब्रिस्तान, शमशान भूमि सहित रकबा की सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:24:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

(4) अगर किसी भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश है तो न्यायालय का नाम रिट नो. दिनांक तक आगामी आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि है तो उपलब्ध करवावे

(5) अगर किसी भी राज्य सरकार की राज करबा पर कब्रिस्तान, शमशान भूमि कल्याण भूमि के जोड़ पतान की भूमि पर किसी काश्तकार का अतिक्रमण है तो आज तक की गई कार्यवाही, 40 वर्षों तक की कार्यवाही की नकल उपलब्ध करवावे

(6) काश्तकार का नाम–जाति–गांव–जिला–वार्ड नं. आधार कार्ड सहित सूचना उपलब्ध करवावें

(7) व काश्तकार से वसूली गयी राशी की रसीद व चलान की बोली नवीदा की सूचना सहित उपलब्ध करवावे 10 वर्ष की

(8) फसल का विवरण–कास्त की गिरदावरी सहित सूचना गत 10 वर्षों की

(9) पानी की पर्चीयां अगर काश्त कारों द्वारा अतिक्रमण पर धारा 22 की कार्यवाही की नकलें उपलब्ध करवाए गत 5 वर्ष की

उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ द्वारा अपने पत्रांक/आर.टी.आई./9590 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नलिखित सूचना/जवाब प्रेषित किया हैं :–

"आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध करवाने आवेदन दिनांक 12.11.2021 में वांछित सूचना चाहे गये प्रारूप में उपलब्ध नहीं हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम में वांछित सूचना उसी प्रारूप में उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान हैं, जिसमें उसके मांगा गया है अर्थात सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नवीन सूचना को सृजित नहीं किया जा सकता हैं। अतः चाही गयी सूचना चाहे गये प्रारूप में संधारित न होने के कारण उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है। फलतः आपका सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किया गया आवेदन 14.12.2021 को अस्वीकार किया जाता है।"

अपीलार्थी/आवेदक द्वारा अपील सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के द्वारा अपीलार्थी का आवेदन आवेदक द्वारा वांछित सूचना चाहे गये प्रारूप में कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिया हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश [illegible] सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उप[illegible]क सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है [illegible] सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव, किसी [illegible] करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में [illegible] प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है। आवेदक से वांछित सूचना से संबंधि[illegible]शिटियां अपने आवेदन में अंकित करना अपेक्षित हैं।

आवेदक को वांछित सूचना के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) ख के तहत अपने आवेदन में विशिष्टियां अंकित करनी चाहिए थी, न की सीधे गांव का नाम लिखते हुए लोक अधिकरण को उपलब्ध रिकार्ड में से तथ्यों को खोजकर सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन करना चाहिए था। राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:24:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

जमाबंदी आमजन हेतु ऑनलाईन निःशुल्क सहज ही उपलब्ध हैं। न्यायालय लोक सूचना अधिकारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के विनिश्चय से सहमत हैं। अतः अपील अस्वीकार की जानी उचित हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.11.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:24:42 IST
Reason: SelfAttested